

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
सेवा मे,

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद— आगरा, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/ ५१५३-२


दिनांक :१०-१०-२०२२

विषय : राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा जनपद आगरा के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद आगरा की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 14 से 17 सितम्बर 2022 के मध्य किया गया। भ्रमण दल द्वारा प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उक्त भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये 15 कार्यदिवसों के भीतर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे।
संलग्नक— भ्रमण आख्या रिपोर्ट।

भवदीय

(अबु सा॒द उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तदादिनांक

पत्रांक :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा मण्डल, आगरा, उत्तरप्रदेश।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा, उत्तर प्रदेश।


(डा० अबु तलहा)
महाप्रबन्धक
मुख्यालय / डी०एच०एस०

जनपद—आगरा

भ्रमण अवधि— दिनांक 14.09.2022 से 17.09.2022

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या—SPMU/NHM/M&E/2022-23/2566-2-Dated-19-07-2022 के क्रम में दिनांक—दिनांक 14.09.2022 से 17.09.2022 के मध्य जनपद आगरा की चिकित्सा इकाईयों—जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अच्छनेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साँधन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साँधन हेल्थ वेलनेस सेन्टर, बियारा, भ्रमण आख्या निम्नवत हैः—

राज्य स्तरीय भ्रमण दल के सदस्य —

1. डा० अबु तलहा, महाप्रबंधक, मुख्यालय /डी०एच०एस०
2. श्री मो० काशिफ, स्टेट मैनेजर, एफ०पी०एल०एम०आई०एस०, परिवार नियोजन
3. श्री आश मोहम्मद, स्टेट कंसल्टेंट, क्वालिटी एश्यारेन्स

जनपद स्तरीय भ्रमण दल के सदस्य —

1. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक।
2. जनपदीय कम्युनिटी प्रासेस प्रबन्धक।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयों

1. जिला महिला चिकित्सालय।
2. जनपदीय झग वेयर हाउस।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अच्छनेरा।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साँधन।
5. हेल्थ वेलनेस सेन्टर, बियारा।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिओम०चिओ) के साथ बैठक।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अच्छनेरा

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में आवारा पशु घुमते पाये गये तथा चिकित्सालय के ओ०पी०डी० ऐरिया में दुर्गंध आ रही थी समस्त टॉयलेट साफ नहीं थे तथा टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा था।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बायो मेडिकल वेस्ट का पृथक्करण नियमानुसार नहीं किया जा रहा था बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।
- लैब रिपोर्ट को रजिस्टर के रख—रखाव, प्रसव कक्ष का प्रबन्धन, जैव अपशिष्ट निस्तारण एवं इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रशिक्षण मौके पर ही प्रदान किया गया। बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण हेतु एक अधिकारी को नोडल के रूप में नायित करने का सुझाव दिया गया तथा जैव अपशिष्ट हेतु अनुबन्धित एजेंसी के प्रतिनिधि से बात कर जैव अपशिष्ट को नियमित रूप से उठाने साथ ही अनुबन्ध की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ही एजेंसी को भुगतान किये का सुझाव दिया गया।
- औषधि वितरण/इन्जेक्शन कक्ष में सिरिंज बिखरी हुई थीं सम्बन्धित कर्मचारी को सिरिंज को हब कटर से काटने एवं बायो—वेस्ट के सही तरीके निस्तारण की जानकारी दी गयी।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मरीजों को का भोजन दिया जा रहा था परन्तु रजिस्टर न तो ठीक ढंग से भरा गया था न ही पृष्ठांकित था और न ही प्रमाणित किया जा रहा था। दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में तैयार किये जाने तथा सम्बन्धित सभी अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सत्यापित किया जाए।
- जे.एस.वाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्रसव के सापेक्ष सभी लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया गया था। तथा आशा इसेंटिव माह अप्रैल, 2022 से नहीं दिया गया। संबंधित को भुगतान प्रक्रिया को नियमित किये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रूम में रजिस्टर पूर्ण रूप से नहीं भरे जा रहे हैं। लेबर रूम में उपस्थित स्टाफ नर्स (नीना) को सेवा प्रदाता एवं लाभार्थियों की प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी का अभाव है।
- मिस्टर स्मार्ट सम्मेलन के चिह्नित ब्लॉक में लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक मात्र 08 पुरुष नसबंदी केस ही किये गये हैं।

- एन०क्य०ए०एस० संबंधी इन्टर्नल असेसमेंट नहीं किया जा रहा है तथा डिपार्टमेंट वार रकोर उपलब्ध नहीं था।
- स्वारथ्य इकाई पर एक महिला को प्रसव उपरांत बिना जानकारी एवं काउन्सलिंग के लोबर रूम में उपस्थित रटाफ नर्स (नीना) द्वारा पी०पी०आई०य००सी०डी० लगायी गई, जो नियमानुसार सही नहीं है। अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित।
- ब्लॉक की समरत आशाओं का भुगतान अप्रैल माह से लम्बित है।
- स्वारथ्य इकाई पर कन्डोम बॉक्स लगा था किन्तु उसमें कन्डोम उपलब्ध नहीं थे। उक्त के सन्दर्भ में सुझाव दिया गया कि किसी को जिम्मेदारी दी जाये कि कण्डोम बाक्स खाली होने से पूर्व भरा जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्टोर में 02 कम्प्यूटर उपलब्ध थे, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जबकि स्वारथ्य इकाई पर 06 फार्मासिस्ट के तैनाती है।
- प्रसव कक्ष में नवीनतम प्रोटोकाल पोर्स्टर तथा आई०ई०सी० सामग्री उपलब्ध नहीं थे।
- दीवार लेखन एवं आई०ई०सी० सामग्री का स्वारथ्य केन्द्र पर अभाव है।
- अन्तरा व पी०पी०आई०य००सी०डी० के प्रिंटेड रजिस्टर अप्रैल माह से नहीं थे। सम्बन्धित रटाफ द्वारा गर्भनिरोधक सामग्री वितरण रजिस्टर में कालम खींचकर पी०पी०आई०य००सी०डी० के लाभार्थियों की इण्ट्री की जा रही थी। पी०पी०आई०य००सी०डी० लाभार्थियों के फॉलोअप का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। सम्बन्धित रटाफ को पी०पी०आई०य००सी०डी० के शत प्रतिशत लाभार्थियों का फॉलोअप करने तथा रिकार्ड रखने का सुझाव दिया गया।
- पी०पी०आई०य००सी०डी० व अन्तरा रजिस्टर में लाभार्थियों के समरत रिकार्ड जैसे, खाता संख्या, मोबाईल नम्बर तथा सम्बन्धित आशा के मोबाईल नम्बर आदि नहीं भरे जा रहे हैं।
- अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज लगवाने हेतु नजदीकी स्वारथ्य उपकेन्द्र पर जाने हेतु लाभार्थियों को सलाह देने का सुझाव दिया गया।
- फिजिकल स्टॉक तथा पोर्टल स्टॉक मैच नहीं हो रहा था जिसे मैच करने एवं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेंट करने एवं पोर्टल को प्रॉपर उपयोग करने की सलाह दी गई।
- सामुदायिक स्वारथ्य केन्द्र में डाटा वेलिडेशन कमेटी का गठन नहीं किया गया है। नियमित बैठक सम्पादित नहीं की जाती पायी गयी एवं न ही अभिलेख उपलब्ध पाये गये सुझाव दिया गया 10 प्रतिशत डाटा का चिकित्साधिकारी द्वारा वेरीफिकेशन किया जाय डाटा वेलिडेशन कमेटी का गठन कराना एवं समरत डाटा का वेलिडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

जिला महिला चिकित्सालय भ्रमण:-

- आर०एम०एन०सी०एच०ए० काउन्सलर अस्पताल में अनुपस्थित पायी गई।
- सम्बन्धित काउन्सलर्स चिकित्सालय परिसर में आने वाले अधिक से अधिक लक्ष्य दम्पत्तियों की काउन्सलिंग कर परिवार नियोजन की सेवायें प्रदान कराते हुए नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करें, जिससे झापआउट को कम किया जा सके।
- अर्श काउन्सलर ने साथिया क्लीनिक को अच्छे से मेनटेन किया हुआ है। तथा किशोर व किशोरियों की परिवार नियोजन सम्बंधी काउन्सलिंग भी की जा रही है।
- जिला महिला चिकित्सालय आगरा एन०क्य०ए० सर्टिफाईड तथा कायाकल्प अवार्ड अर्ह है परन्तु जिला स्वारथ्य समिति आगरा द्वारा चिकित्सालय को एन०क्य०ए०एस० इन्सेटिव एवं कायाकल्प अवार्ड धनराशि का आवंटन नहीं किया गया।
- नसबन्दी केसेज के रिकार्ड समुचित नहीं भरे जा रहे हैं तथा लाभार्थियों को फॉलोअप कार्ड व प्रमाणपत्र का वितरण नहीं किया जा रहा है।
- पी०पी०आई०य००सी०डी० के सेवाप्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान पिछले दो वर्षों से नहीं किया गया है।
- पी०पी०आई०य००सी०डी० व अन्तरा रजिस्टर में लाभार्थियों के समरत रिकार्ड जैसे, खाता संख्या, मोबाईल नम्बर तथा सम्बन्धित आशा के मोबाईल नम्बर आदि नहीं भरे जा रहे हैं।

- अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज लगवाने हेतु नजदीकी स्वारथ्य उपकेन्द्र पर जाने हेतु लाभार्थियों को सलाह देने का सुझाव दिया गया।
- परिसर में एक भी कन्डोम बॉक्स नहीं लगाया गया था।
- परिवार नियोजन सामग्रियों का मैनेजमेन्ट चिकित्सालय के फार्मासिस्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। जनपदीय वेयर हाउस से काउन्सलर एवं ए०एन०एम० द्वारा सामग्री प्राप्त की जा रही जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।
- परिवार नियोजन से सम्बन्धित आई०ई०सी० लगी हुई पायी गयी। परन्तु अपडेटेड व समुचित नहीं था।
- मेडिकल आफिसर व स्टाफ नर्स सभी PPIUCD में विधा में प्रशिक्षित हैं। परिवार नियोजन से सम्बन्धित डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं किया जा रहा हैं जिसे ठीक करने का तथा HMIS में फीड करने का सुझाव दिया गया। पी०पी०आई०य००सी०डी० के लाभार्थियों का फालोअप भी कम है। सम्बन्धित स्टाफ को पी०पी०आई०य००सी०डी० के शत प्रतिशत लाभार्थियों का फालोअप करने का सुझाव दिया गया।
- सम्बन्धित स्टाफ को अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज लगवाने हेतु नजदीकी स्वारथ्य केन्द्र पर जाने हेतु लाभार्थियों को सलाह देने का सुझाव दिया गया।
- फिजिकल स्टॉक तथा पोर्टल स्टॉक मैच नहीं हो रहा था जिसे मैच करने एवं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेंट करने एवं पोर्टल को समुचित उपयोग करने की सलाह दी गई।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिओम०चिओ) के साथ बैठक व फीडबैक:-

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिओम०चिओ) के साथ बैठक कर निम्न फीडबैक दी गई—

- परिवार नियोजन सामग्रियों के मॉग, वितरण व प्रबन्धन हेतु एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल पर नियमित इण्ट्री नहीं की जा रही है। परिवार नियोजन सामग्रियों का मैनेजमेन्ट चिकित्सालय के फार्मासिस्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। जनपदीय वेयर हाउस से काउन्सलर एवं ए०एन०एम० द्वारा सामग्री प्राप्त की जा रही जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया की जिला महिला चिकित्सालय आगरा एन०क्य०ए० सर्टिफाईड तथा कायाकल्प अवार्ड अर्ह है परन्तु जिला स्वारथ्य समिति आगरा द्वारा चिकित्सालय को एन०क्य०ए०एस० इन्सेटिव एवं कायाकल्प अवार्ड धनराशि का आवंटन नहीं किया गया।
- जिला महिला चिकित्सालय के मेडिकल कालेज में परिवर्तित होने के कारण प्रशासनिक दायित्वों में बदलाव के कारण वर्तमान में आने वाली कठिनाईयों से भी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया।
- पी०पी०आई०य००सी०डी० के सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान अप्रैल माह से नहीं किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिओम०चिओ) द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त भुगतान शीघ्र करा दिये जायेंगे।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिओम०चिओ) से पी०पी०आई०य००सी०डी० व अन्तरा के सेवाप्रदाताओं की मासिक समीक्षा करने का सुझाव दिया गया जिससे उपलब्धि बढ़ायी जा सके।
- कण्डोम बाक्सेज लगवाने तथा परिवार नियोजन काउन्सलर को प्रिण्टेड रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के सन्दर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिओम०चिओ) तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त भुगतान शीघ्र करा दिये जायेंगे तथा स्टोर से परिवार नियोजन काउन्सलर को प्रिण्टेड रजिस्टर शीघ्र ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस, आगरा-

- फार्मासिस्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टाक रजिस्टर एवं एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक में थोड़ी भिन्नता पायी गयी।
- मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस में भ्रमण करने पर ज्ञात हुआ कि परिसर में साफ-सफाई का अभाव था और सामग्री को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है।
- मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था कियाशील नहीं थी।
- फिजिकल स्टॉक तथा पोर्टल स्टॉक मैच नहीं हो रहा था जिसे मैच करने एवं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेंट करने एवं पोर्टल को प्रॉपर उपयोग करने की सलाह दी गई।

- भ्रमण टीम द्वारा चीफ फार्मासिस्ट को अवगत कराया गया कि मण्डल से जिलों को पर्याप्त मात्रा में परिवार नियोजन सामग्री उपलब्ध कराने एवं भण्डारण के लिये रेटेट वेयर हाउस को क्षमतानुसार बड़े वाहन से सामग्री लाने के लिये बजट का प्रावधान राज्य स्तर से किया गया है, जिसका समुचित रूप से कियान्वयन किया जाना अति आवश्यक है।
- चीफ फार्मासिस्ट को भौतिक स्टॉक एवं एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल के रटॉक की जांच कर मिलान करने एवं निरन्तर मूल्यांकन/अनुश्रवण करने का सुझाव दिया गया।
- चीफ फार्मासिस्ट के पास मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस द्वारा रेटेट वेयर हाउस से सामग्री लाने के लिये ट्रान्सपोर्ट बजट शीट, मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस क्रियान्वयन सम्बंधी गाइडलाइन, मण्डलीय ड्रग वेयर हाउस पर आवंटित संविदा मानव संसाधन एवं एफ०पी०एल०एम०आई०एस० पोर्टल से सम्बन्धित गाइडलाइन/दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है एवं इससे सम्बन्धित जानकारी का अभाव था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साधन

- स्वास्थ्य इकाई पर तैनात मेडिकल ॲफिसर भ्रमण के समय जा चुकी थी।
- परिसर में साफ सफाई नहीं थी। पीने की पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी।
- आई० ई०सी० अद्यतन नहीं पायी गई। स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम आई० ई० सी० लगायी जानी है।
- चिकित्सालय की चारदीवारी दूरी हुयी थी।
- स्वास्थ्य इकाई पर एक फार्मासिस्ट एवं एक सफाईकर्मी ही उपस्थित पाया गया।
- स्वास्थ्य इकाई तक पहुंचने के लिये रास्ता वाधित है एवं स्वास्थ्य इकाई की इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।
- स्वास्थ्य इकाई पर साफ-सफाई का अभाव है एवं बान्डी वॉल टूटी हुई थी। स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध सामानों में जंग लगा हुआ है तथा रख-रखाव ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है।

हेल्थ वेलनेस सेन्टर, वियारा।

- हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर भ्रमण के समय ताला लगा हुआ था। एम०ओ०आई०सी० द्वारा कॉल के उपरांत स्टॉफ उपस्थित हुआ।
- हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर पानी की व्यवस्था नहीं थी तथा शौचालय क्रियाशील नहीं था।
- हेल्थ वेलनेस सेन्टर की बान्डी वॉल नहीं है तथा जगह-जगह पानी भरा हुआ है, जिससे इकाई को नुकसान पहुंच रहा है।
- सीबैक फार्म नहीं भरे जा रहे थे तथा आशा द्वारा अवगत कराया गया कि सीबैक फोर्म उपलब्ध नहीं कराये जा रहे। सीबैक फोर्म को भरने हेतु तथा सीबैक फोर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

भ्रमण टीम द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निम्नानुसार फीडबैक दिया गया-


- जनपद में आशाओं का भुगतान अप्रैल माह से नहीं किया गया है जबकि राज्य स्तर से निरन्तर आशा भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है।
- नसबन्दी केसेज के रिकार्ड समुचित नहीं भरे जा रहे हैं तथा लाभार्थियों को फॉलोअप कार्ड व प्रमाणपत्र का वितरण नहीं किया जा रहा है।
- पी०पी०आई०य०सी०डी० के सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान अप्रैल माह से नहीं किया गया है।
- पी०पी०आई०य०सी०डी० लाभार्थियों के फॉलोअप का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।
- पी०पी०आई०य०सी०डी० व अन्तरा रजिस्टर में लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड जैसे, खाता संख्या, मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित आशा के मोबाइल नम्बर आदि नहीं भरे जा रहे हैं।
- अन्तरा के द्वितीय व बाद के डोज लगावाने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर जाने हेतु लाभार्थियों को सलाह देने का सुझाव दिया गया।
- एन०क्य०ए०एस० के चेकलिस्ट के आधार पर चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर हेतु कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया गया।


- फिजिकल स्टॉक तथा पोर्टल स्टॉक मैच नहीं हो रहा था जिसे मैच करने एवं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंडेंट करने एवं पोर्टल को प्रॉपर उपयोग करने की सलाह दी गई।
- राज्य रत्तर से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का सभी स्वास्थ्य इकाईयों का स समय उपलब्ध कराया जाय।
- बैठकों में दिशा-निर्देशों एवं अवमुक्त की गयी धनराशी के नियमानुसार व्यय हेतु अवगत कराया जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक व फीडबैक:- भ्रमण के उपरान्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ बैठक किया गया व भ्रमण में पायी गयी बिन्दुवार कमियों एवं भ्रमण दल द्वारा मौके पर दी गयी सहयोग से अवगत कराया गया। भ्रमण टीम द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये गये-

- राज्य रत्तरीय टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि ऑकड़ों की नियमित समीक्षा प्रत्येक रत्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाए।
- जनपद में आशाओं का भुगतान अप्रैल माह से नहीं किया गया है जबकि राज्य रत्तर से निरन्तर आशा भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है।
- राज्य रत्तर से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का सभी स्वास्थ्य इकाईयों का ससमय उपलब्ध कराया जाय।
- बैठकों में दिशा-निर्देशों एवं अवमुक्त की गयी धनराशी के नियमानुसार व्यय हेतु अवगत कराया जाये।
- राज्य रत्तरीय टीम द्वारा भ्रमण की गई चिकित्सा इकाईयों का फीडबैक साझा किया गया।
- जनपद रत्तर पर प्रत्येक माह वित्तीय समीक्षा करने का सुझाव दिया गया।

उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे गैप को 01 माह में पूर्ण करा देंगे।


आश मोहम्मद
स्टेट कंसल्टेंट, क्वालिटी एश्यारेन्स


मो 0 काशिफ,
स्टेट मैनेजर, एफ०पी०एल०एम०आई०एस०


डॉ अबु तलहा,
महाप्रबन्धक
मुख्यालय / डी०एच०एस०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद— आगरा, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/ 4943-

दिनांक :10.10.2022

विषय : राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा जनपद आगरा के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद आगरा की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 14 से 17 सितम्बर 2022 के मध्य किया गया। भ्रमण दल द्वारा प्रकाश में आये विन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उक्त भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये 15 कार्यदिवसों के भीतर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे।
संलग्नक— भ्रमण आख्या रिपोर्ट।

भवदीय
Dara
(मण्डलीय उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022-23/ 4943- 2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला रवारथ्य समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा मण्डल, आगरा, उत्तरप्रदेश।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा, उत्तर प्रदेश।

Y
(डा० अबु तलहा)
महाप्रबन्धक
मुख्यालय / डी०एच०एस०